Date	Proceedings	
07/10/24	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष सुना। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया गया। तदनुसार डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	7-7-1 07/10/2024 GCMS 2021/40

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:07:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार आर.ए.एस

प्रकरण सं0 205/2021 GCMS:- 2021/40 दायरा दिनांक 15.09.2021

1. जगदीश कुमार
2. सन्दीप कुमार

पिसरान श्री फुलसिंह जाति जाट निवासी अग्रवाल कॉलोनी वार्ड नं0 18, फतेहबाद तह0 व जिला फतेहबाद हरियाणा।

– वादीगण –

बनाम

1. रेवन्तराम
2. हेतराम उर्फ पृथ्वीराज

पुत्रगण टिमुराम जाति जाट निवासीयान किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0

3. सरबती पत्नी हेतराम उर्फ पृथ्वीराज जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

4. सुल्तान
5. रामराज

पुत्र/पुत्रीयां सरस्वती देवी पुत्री मेघराम पत्नी नत्थूराम अकवाम जाति जाट निवासी फरसेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0

6. बृजलाल
7. श्योप्रकाश

पुत्र/पुत्रीयां रूपराम अकवाम जाति जाट निवासीयान फरसेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0

8. रामकौरी पत्नी श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0।

9. भदरराम
10. हेतराम

पुत्रगण पूर्णराम जाति जाट निवासीयान किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0

11. शंकरलाल पुत्र श्रीशेराराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0

12. विद्या देवी
13. सोना देवी
14. सन्तोदेवी
15. मनफुलराम
16. कृष्ण
17. गुड्डी देवी
18. भोमा राम
19. सावत्री देवी
20. जेठाराम
21. मेखादेवी
22. रामकुमार

पुत्र/पुत्रीया हरचन्द जाति जाट निवासीयान किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0।

23. तुलछा देवी पत्नी श्री देवीलाल जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0

24. सुमनदेवी
25. राधादेवी
26. सरोज देवी
27. इन्द्रा देवी
28. हनुमान
29. मोहन

पुत्र/पुत्रीया देवीलाल जाति जाट निवासीयान किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:07:27 IST
Reason: SelfAttested

– लगातार 2 पर –

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

30. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सूरतगढ़।

31. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) बहैसियत प्रतिनिधी भू–धारक।

– प्रतिवादीगण –

उपस्थित :– 1. श्री भगवानदत (अभिभाषक वादी)

2. श्री रामस्वरूप बारूपाल (अभिभाषक प्रतिवादी 1, 2,8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 28, 29)

3. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ (पेरोकार राज0)

वाद अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.ए.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय   दिनांक 07.10.2024

आज यह पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई वादी के अभिभाषक उपस्थित प्रतिवादी नं0 1, 2, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 28, 29 की और से अभिभाषक उपस्थित राज्य सरकार के प्रतिनिधी की और से तहसीलदार राजस्व उपस्थित शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में सुनवाई के आदेश हो चुके है। पत्रावली बाद तर्क पक्षकारान निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। पत्रावली के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा एक वाद इस कथन के साथ वास्ते खाता विभाजन प्रस्तुत किया कि ग्राम किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ की जामबन्दी सम्वंत 2062 के खाता सं0 167/209 के ख0नं0 271 में 14.105, 273 में 2.758 है0, 274 में 0.696 है0, 324 में 7.767 है0 कुल 25.326 है0 बारानी भूमि खातेदारी अंकित है जिसमें वादीगण का 1.294 है0 बारानी भूमि दर्ज बतौर खातदारी दर्ज दस्तावेजी रिकार्ड जमाबन्दी में है। एंव मौका पर खसरा नं0 324 रोही किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ के पश्चिम साईड में खसरा नं0 323 के चिपता कब्जा काश्त है वादीगण के कुल खाता विभाजन कर वादीगण के कब्जा अनुसार वादी का ख0नं0 324 के पश्चिम साईड मं ख0नं0 323 के चिपती भूमि में 1.294 है0 खाता स्वय के नाम अलग कायम बाद खाता विभाजन की प्रार्थना की ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी नं0 1, 2,8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 28, 29 उपस्थित आये व जवाब दावा स्वीकृति पेश किया शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। राज्य सरकार का जवाब नहीं आने पर बिना जवाब तर्क सूने गये।

वादी के अभिभाषक द्वारा वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुए प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ [illegible]62 खाता सख्या 167/209 का अवलोकन करवाया जिसमें [illegible] वादीगण के नाम 1.294 है0 रकबा बतौर खातेद[illegible] प्रतिवादीगण ख0नं0 271, 273, 274, 324 में 25.326 है0 बारानी भूमि में दर्ज [illegible]वेजी रिकार्ड मं अंकित है वादी के मुताबिक कब्जा खसरा नं0 324 के पश्चिम साईड के ख0नं0 323 के चिपता का स्वंय के नाम खाता विभाजन चाहा बताया जिसकी पुष्टी उपस्थित प्रतिवादीगण भी जवाब दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:07:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

– लगातार 3 –

स्वीकृति पत्र से दे चुके है इस आधार पर दावा पुष्ट मानकर स्वीकार करने की प्रार्थना की। राज्य पक्ष की और से राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वाद निर्णय की प्रार्थना की। उपस्थित प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा मौका की जांच कर वाद निर्णय की प्रार्थना की।

अभिभाषकगण के तर्क सुनने के उपरान्त पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया एंव पाया कि रोही किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ में मुताबिक जमाबन्दी 2062 खाता सं0 167/209 में कुल खाता ख0नं0 271 में 14.105, 273 में 2.758 है0, 274 में 0.696 है0, 324 में 7.767 है0 कुल 25.326 है0 बारानी भूमि के वादीगण का हिस्सा बतौर खातेदार 1.294 है0 दर्ज कागजात है व इस भूमि के अलग–अलग कायम करवाने के अधिकारी है। उनके द्वारा कब्जा अनुसार ख0नं0 324 की 7.767 है0 में पश्चिम पासा में ख0नं0 323 के चिपती भूमि में अपना कब्जा बताकर खाता विभाजन कब्जा अनुसार चाहा है। उपस्थित प्रतिवादीगण ने इसी अनुसार स्वीकृति दी है। इसलिये कब्जा अनुसार विभाजन प्रस्ताव बाद जांच दी जा सकती है किन्तु विभाजन खाता की स्वीकृति दी जाकर नियमानुसार तहसीलदार सूरतगढ़ से विभाजन के नियमानुसार प्रस्ताव मगवाये जाने उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर रोही किशनपुरा के जामबन्दी सम्वंत 2062 के खाता सं0 167/209 के ख0नं0 271 में 14.105, 273 में 2.758 है0, 274 में 0.696 है0, 324 में 7.767 है0 कुल 25.326 है0 बारानी भूमि खाता के खाता विभाजन की स्वीकृति दी जाती है इस खाता को विभाजन कर वादीगण का 1.294 है0 भूमि का विभाजन के नियमों के अनुसार व कब्जा वादीगण ध्यान में रखते हुए खाता विभाजन की स्वीकृति दी जाती है। कुल खाता विभाजन कर वादीगण का खाता 1.294 अलग कायम करने हेतु विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ से मंगवाये जावें। इसी अनुसार प्राथमिक आदेश व डिक्री जारी हो। तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को विभाजन प्रस्ताव उपरोक्त आदेश अनुसार प्रस्तुत करने हेतु आदेश अलग से जारी किये जावें। व इसी अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जावें। पत्रावली निर्णय अनुसार बाद पालना दाखिल दफतर की जावें। पक्षकार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्रावली को पुनः पेशी लेकर अंन्तिम आदेश व डिक्री हेतु प्रार्थना पत्र बाद आने विभाजन प्र[illegible] करे। तब तक पत्रावली निर्णय सुमार होकर बाद तरतीब त[illegible] जावे। निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 07.10.2024 को सु[illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:07:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(आदेश 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिकी बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत– सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास– सन्दीप कुमार आर.ए.एस

अनवान:–

1. जगदीश कुमार }
2. सन्दीप कुमार } पिसरान श्री फुलसिंह जाति जाट निवासी अग्रवाल कॉलोनी वार्ड नं0 18, फतेहबाद तह0 व जिला फतेहबाद हरियाणा।

– वादीगण –

बनाम

1. रेवन्तराम }
2. हेतराम उर्फ पृथ्वीराज } पुत्रगण टिमुराम जाति जाट निवासीयान किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0
3. सरबती पत्नी हेतराम उर्फ पृथ्वीराज जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. सुल्तान }
5. हेमराज } पुत्र/पुत्रीयां सरस्वती देवी पुत्री मेघराम पत्नी नत्थूराम अकवाम जाति जाट निवासी फरसेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0
6. बृजलाल }
7. श्योप्रकाश } पुत्र/पुत्रीयां रूपराम अकवाम जाति जाट निवासीयान फरसेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0
8. रामकौरी पत्नी श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0।
9. भदरराम }
10. हेतराम } पुत्रगण पूर्णराम जाति जाट निवासीयान किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0
11. शंकरलाल पुत्र श्रीशेराराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0
12. विद्या देवी
13. सोना देवी
14. सन्तोदेवी
15. मनफुलराम
16. कृष्ण
17. गुड्डी देवी
18. भोमा राम
19. सावत्री देवी
20. जेठाराम
21. मेखादेवी
22. रामकुमार

} पुत्र/पुत्रीया हरचन्द जाति जाट निवासीयान किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:07:27 IST
Reason: SelfAttested

23. तुलछा देवी पत्नी श्री देवीलाल जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0

– लगातार 2 –

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

24. सुमनदेवी
25. राधादेवी
26. सरोज देवी
27. इन्द्रा देवी
28. हनुमान
29. मोहन

} पुत्र / पुत्रीया देवीलाल जाति जाट निवासीयान किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0।

30. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सूरतगढ़।
31. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) बहैसियत प्रतिनिधी भू–धारक।

— प्रतिवादीगण —

उपस्थित :— 1. श्री भगवानदत (अभिभाषक वादी)

2. श्री रामस्वरूप बारूपाल (अभिभाषक प्रतिवादी 1, 2,8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 28, 29)

3. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ (पेरोकार राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. प्रस्तुत होने पर यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी एंव प्रतिवादी पेश होने पर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि रोही किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ के जमाबन्दी सम्वंत 2062 के खाता सं0 167 / 209 के ख0नं0 271 में 14.105, 273 में 2.758 है0, 274 में 0.696 है0, 324 में 7.767 है0 कुल 25.326 है0 बारानी भूमि खाता विभाजन कि स्वीकृति दी जाती है इस खाता को विभाजन कर वादीगण का 1.294 है0 भूमि का विभाजन के नियमों के अनुसार व कब्जा वादीगण ध्यान में रखते हुए खाता विभाजन की स्वीकृति दी जाती है। कुल खाता विभाजन कर वादीग का खाता 1. 294 अलग कायम करने हेतु विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ से मंगवाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कि जाती है। तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को विभाजन प्रस्ताव उपरोक्त आदेश अनुसार प्रस्तुत करने हेतु आदेश अलग से जारी किये जावें। व इसी अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जावें।

नोज ....x......मुबलिग.............x................खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ....x........ फ[illegible] की [illegible]ना.........x........आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की [illegible] क[illegible] बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के [illegible] .10 .2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:07:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सूरतगढ़